

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या-19 सन्2016-17

केश का प्रकार -एन0एच0104 अंतर्गत अर्जित भूमि का मुआवजा के संबंध में।

अर्जीकार-महेश ठाकुर पिता- स्व0 शंकर ठाकुर, उसराही देवधा, अंचल-जयनगर।

प्रतिपक्षी:- सरकार एन0एच0ए0आई0परियोजना निदेशक/सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू-अर्जन पदा0 वगैरह

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
14/12	<p>प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन पर प्रारम्भ की गयी। आवेदक ने एन0एच0अधिनियम 1956 की धारा-3 जी(5) के अंतर्गत मध्यस्थ न्यायालय में आवेदन देते हुये प्रतिपक्षी सक्षम प्राधिकार को एन0एच0104 के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण हेतु अर्जित भूमि का आवासीय दर पर मुआवजा सूद के साथ भुगतान करने का आदेश देने हेतु अनुरोध किया। आवेदक के आवेदन का मुख्य अंश है कि मौजा-उसराही देवधा, अंचल-जयनगर जिला मधुबनी के अंतर्गत आवेदक की आवासीय भूमि एन0एच0104 चौहड़ीकरण हेतु अर्जित की गयी जबकि भीठ कर मुआवजा हेतु नोटिस दी गयी। आवेदक की अर्जित भूमि का बाजार मूल्य 2.90 लाख प्रति डिसमल है। इनका कथन है कि आवेदक की अर्जित भूमि का खेसरा संख्या-9965 है जबकि उसके सटे खेसरा संख्या-10016, 10017 एवं 10011, 10012, 10011, 10006, 9968, एवं 9956,9962,9963 आवासीय किस्म की भूमि है। आवेदक की अर्जित भूमि सघन आवासीय क्षेत्र की भूमि है जो मुख्य सड़क के सटे है। आवेदक ने एक आपत्ति आवेदन प्रतिपक्षी संख्या-2 सक्षम प्राधिकार को दिया किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। आवेदक अपनी रैयती भूमि का आवासीय दर का मुआवजा पाने के हकदार हैं जो भारत सरकार की नई नीति स्थापित है। आवेदक ने आवेदन के साथ अपने कथन के समर्थन में विभिन्न साक्ष्यों की छाया प्रति संलग्न किया।</p> <p>आवेदक के आवेदन पर प्रतिपक्षियों से पक्ष प्राप्त किया गया। प्रतिपक्षी कार्यपालक अभियंता-सह-पी0आई0यू0हेड एन0एच0104 राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, सीतामढ़ी की ओर से लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का आवेदन किस्म परिवर्तन से संबंधित है भूमि के किस्म के निर्धारण में अधियाची विभाग की कोई भूमिका नहीं है।</p> <p>प्रतिपक्षी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी-सह-सक्षम प्राधिकार ने पत्रांक-480/जि0भू0अ0 दिनांक-30 मार्च 2017 द्वारा लिखित प्रतिवेदन के साथ पक्ष दिया कि एन0एच0104 में अंचल-जयनगर के मौजा-उसही खाता-..... खेसरा-9965 रकवा 0.040 हेक्टेयर का अर्जन किया गया। उक्त अर्जित रकवा का किस्म का स्थल जाँच कर अधियाची विभाग कार्यपालक अभियंता-सह-पी0आई0यू0हेड एन0एच0104 राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, सीतामढ़ी द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव को कानूनगो द्वारा जाँच किया गया है तत्पश्चात् अमीन द्वारा स्थल निरीक्षण कर खेसरा पंजी तैयार किया गया है, जिसका पुनः निरीक्षण कानूनगो एवं तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा दिया गया है एवं उसमें प्राप्त आपत्तियों का भी विधिवत् सुनाई कर किस्म निर्धारण</p>	

के संबंध में निर्णय लिया गया है प्रस्तावित खेसरा में भी उक्त सारी प्रक्रिया अपनाकर ही उस समय की भूमि का जो स्वरूप था, उसी के अनुरूप ही किस्म का निर्धारण किया गया है। अतः अर्जित उपरोक्त भूमि का किस्म भी ठीक ही रखा जाय।

आवेदक का आवेदन, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी-सह-सक्षम प्राधिकार तथा राष्ट्रीय उच्च पथ 104 की ओर से प्राप्त पक्ष का अवलोकन किया। आवेदक ने अधिगृहित भूमि के अगल-बगल की भूमि का किस्म आवासीय के आधार पर अपनी अधिगृहित भूमि का मुआवजा भी आवासीय भुगतान का अनुरोध किया है। मध्यस्थ न्यायालय किस्म परिवर्तन हेतु सक्षम नहीं है। किन्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क के आलोक में सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सुसंगत कार्रवाई किये जाने का निदेश यह न्यायालय देता है। इसी ऑब्जरवेशन के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को भेजी जाय।

आदेश से विद्विष्य पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित्र

14/5/18
मध्यस्थ पदाधिकारी-सह-
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

मध्यस्थ पदाधिकारी-सह-
अपर समाहर्ता
मधुबनी

14/5/18
मध्यस्थ पदाधिकारी-सह-
अपर समाहर्ता, मधुबनी।
मध्यस्थ पदाधिकारी-सह-
अपर समाहर्ता
मधुबनी